प्रेस नोट
थाना नवावाब, झाँसी

दिनांक- 08.06.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- थाना नवाबाद पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में नाबालिग बच्ची के साथ गलत कार्य करने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।
- कब्जे से, 1 अवैध तमंचा, खोखा व जिन्दा कारतूस व एक मोबाइल फोन बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.06.2026 को स्वाट सर्विलांस टीम एवं थाना नवाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्रान्तर्गत भगवन्तपुरा करगुवांजी पहाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर मु0अ0सं0 288/2026, धारा 65(2) बीएनएस, 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त संजय मिश्रा पुत्र जयराम मिश्रा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी हाल तिलक नगर आरामशीन के पास (सुनील खरे का किराये का मकान), मंदिर वाली गली, थाना बबीना, जनपद झाँसी, मूल निवासी ग्राम हरपुर, थाना गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार एवं जीवन रक्षार्थ तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2026 को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना नवाबाद पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो की पहचान की गई तथा बच्ची के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति उनका परिचित है तथा बच्ची को दवा दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया है।

बाद में परिजनों द्वारा उक्त व्यक्ति से संपर्क कर बच्ची को वापस लाने के लिए कहा गया, किन्तु वह लगातार टालमटोल करता रहा तथा बच्ची को वापस नहीं लाया। परिजनों के दबाव बनाने पर वह बच्ची को घर के बाहर छोड़कर चला गया। इसके उपरांत बच्ची द्वारा परिजनों को बताया गया कि उक्त व्यक्ति उसे दवा दिलाने नहीं ले गया था, बल्कि उसे अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया।

प्रकरण के संबंध में परिजनों द्वारा थाना नवाबाद पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 288/2026, धारा 65(2) बीएनएस, 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया

गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त संजय मिश्रा वांछित चल रहा था, जिसे दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर भगवन्तपुरा करगुवांजी पहाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिंदा कारतूस तथा रेडमी कंपनी का 01 अदद काले रंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त संजय मिश्रा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, झांसी भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. संजय मिश्रा पुत्र जयराम मिश्रा निवासी हाल तिलक नगर आरामशीन के पास (सुनील खरे का किराये का मकान) मन्दिर वाली गली थाना बबीना जिला झांसी मूल निवासी ग्राम हरपुर थाना गोलाबाजार जिला गोरखपुर उम्र करीब 43 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा, 1 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद मय पुलिस टीम

2- प्रभारी निरीक्षक स्वाट मय टीम